न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

_**अपील संख्या–** आरटीए/39/2014

उनवान

1. मु0 मोहनी पत्नि स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
2. सत्यनारायण आत्मज स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
3. मु0 सीता पुत्री स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
4. मु0 गीता पुत्री स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
5. मु0 मीरा पुत्री स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
6. कन्हैया लाल पुत्र स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
7. चान्दमल पुत्र स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
8. ओम प्रकाश आत्मज भोलू कोली, निरवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
9. मु0 मोहनी पुत्री भोलू काली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. शरीफ मोहम्मद आत्मज नवाब खॉ पठान निवासी कनेछन कलॉ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. हनीफ मोहम्मद आत्मज नवाब खॉ पठान निवासी कनेछन कलॉ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. मु0 हदीसन पुत्री नवाब खॉ पठान निवासी कनेछन कलॉ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. शब्बीर मोहम्मद आत्मज नवाब खॉ पठान निवासी कनेछन कलॉ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

5. मु0 फाती पुत्री अहमद खॉ पठान पत्नि अकबर खॉ हाजी निवासी आसीन्द जिला भीलवाडा
6. मु0 जन्नत पुत्री अहमद खॉ पठान पत्नि गुलजार पठान निवासी दरगाह मोहल्ला आसीन्द जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 360/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2013

अभिभाषक : 1. श्री रमेष चेचाणी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री भोपाल गुर्जर अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 25.10.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एक ही परिवार के होकर परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :-

भोलू जी (फौत)

उदयलाल (फौत) ओमप्रकाष मु0 मोहनी

मु0मोहनी सत्यनारायण मु0सीता मु0गीता मु0मीरा कन्हैयालाल चांदमल

2. श्री भोलू पिता दोला जी कोली शाहपुरा में रहते थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है । मृतक भोलू जी के पुत्र उदयलाल व ओमप्रकाष पुत्री मोहनी हुए । उदय लाल की मृत्यु हो चुकी है। मृतक उदय लाल की पत्नि मु0 मोहनी

देवी वादी नम्बर 1, पुत्र सत्यनारायण वादी संख्या 2, पुत्री मु0 सीता वादी संख्या 3, मु0 गीता वादी संख्या 4, मु0 मीरा वादी संख्या 5, पुत्र कन्हैया लाल वादी संख्या 6, चांदमल व वादी संख्या 7 है। मृतक भोलू के दूसरे पुत्र श्री ओम प्रकाष वादी संख्या 8 व पुत्री मोहनी वादी संख्या 9 है । उक्त वादीगण मृतक भोलू के उत्तराधिकारी है।

3. अहमद पिता महमद खॉ जी पठान निवासी शाहपुरा के होकर शाहपुरा में रहते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनके परिवार में पुत्र नवाब खॉ प्रतिवादी संख्या 1 , पुत्रियॉ मु0 फाती प्रतिवादी संख्या 2, मु0 जन्नत प्रतिवादी संख्या 3 है। प्रतिवादी संख्या 4 लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। कस्बा शाहपुरा में अहमद खॉ पिता महमद खां पठान के नाम पर कृषि आराजी संवत 2010 से 2013 की जमाबंदी में दर्ज होकर स्थित है। संवत 2014 से 2017 में खातेदार श्री अहमद पिता महमदखां पठान दर्ज था पर महमद खां को तत्कालीन पटवारी द्वारा ओवर राईटिंग करते हुए अहमद खां की जगह महताब खां कर दिया । उसके बाद खातेदार अहमद खां के पिता का नाम गलत रूप से महताब खां लिखते रहे है। जबकि इसके पूर्व वाली जमाबंदी व सेटलमेण्ट वालों द्वारा जारी की गई पानडी में भी खातेदार अहमद खां के पिता का नाम महमद खां जी लिखा हुआ है। उक्त आराजी 3620 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा था। सेटलमेण्ट के बाद नम्बर 6635 रकबा 0.35 है बने है इस आराजी के पडौस निम्न प्रकार है:–

पूर्व :– रास्ता
पष्चिम :– सोजा कोली का खेत
उत्तर :– श्री बहादुर खां कायमखानी का खेत
दक्षिण :– श्री हजारी माली का खेत

वर्तमान पडौस निम्न प्रकार है :–

पूर्व :— रास्ता
पष्चिम :— षिषपाल कोली पौत्र सोजा कोली का खेत
उत्तर :— मु0 मोहनी बेवा उदा कोली की आराजी की आराजी
दक्षिण :— श्री पन्ना कोली की आराजी

4. उक्त आराजी राजस्थान काष्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले श्री अहमद खॅ के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। शाहपुरा स्टेट में खातेदार को अपनी आराजी को बेचने का अधिकार नहीं था। बल्कि उस समय बिकाव हेतु दो दस्तावेज तैयार किया जाते थे । पहला दस्तावेज रहन नामा होता था व दूसरा दस्तावेज बिकाव का इकरार लिखा जाता था। तब ही आराजी का बिकाव संभव था। इस तरह से कई बिकाव शाहपुरा तहसील में तत्समय में हुए थे। इसी आधार पर श्री अहमद खॉ ने श्री भोलू कोली के पक्ष में तारीख 5.7.1946 को उपर वर्णित पडौसों की आराजी का रहननामा लिखवाकर उक्त रहननामे की रजिस्ट्री तारीख 26. 9.1947 को कराई व तारीख 5.7.1946 को श्री अहमद खॉ ने श्री भोलू कोली के पक्ष में बिकाव इकरार लिखकर अपने हस्ताक्षर गवाह के सामने कर दिये ।तब से ही बिकावसुदा आराजी पर भी भोलू कोली बहैसियत मालिक के काबिज होकर काष्त कर रहा है। रहननामा व बिकाव इकरार पुरानी जमाबंदिया मिलान क्षेत्रफल की नकले भी साथ में संलग्न की है।

5. अहमद खॉ पठान की मृत्यु हो जाने से मृतक अहमद के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है । प्रतिवादी नम्बर 1 ने पारिवारिक आवष्यक आवष्यकता हेतु उक्त आराजी का बिकाव प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 की सहमति व रजामंदी से दिनांक 3.3.1987 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भोलू वल्द दोला कोली के पक्ष में तीन हजार रूपये में किया । इस तरह श्री अहमद खॉ के वारिसान

द्वारा भी वादीगण के पूर्वज श्री भोलू कोली के पक्ष में बिकाव किया जा चुका है। इस तरह पेरा नम्बर 3 में वर्णित आराजी के वादीगण खातेदार काष्तकार होकर उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। वादग्रस्त आराजी जो कि पेरा नम्बर 3 में वर्णित है अहमद पिता महताब जी के नाम दर्ज है। रजिस्ट्री नकल पेष है। पूर्व में वादीगण के पूर्वज भोलू कोली के द्वारा उक्त आराजी को दो बार खरीद कर लिया है। पर श्री भोलू कोली साक्ष्य व कानूनी जानकारी नहीं होने से बिकाव पत्रों के आधार पर खरीदसुदा आराजी अपने नाम नहीं करा सका। इसकी जानकारी वादीगणों को कुछ समय पूर्व हुई। तब वादीगणों ने आराजी से संबंधित पुराने कागजातों को तलाष किया व आराजी से संबंधित पुराने राजस्व रेकार्ड निकलवाने पर वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर वादीगणों द्वारा वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्ति हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादीगण के पिता के नाम पर होने से वे वादग्रस्त आराजी से वे वादीगण को बेदखल कर सकते हैं अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे। तथा वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार काष्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एंवं डिक्री द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत

है। अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों का अवलोकन नहीं कर अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया था। मौके पर भी वादीगण का ही कब्जाकाष्त चला आ रहा है इस तथ्य की पुष्टि होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया जा विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण ने तत्कालीन खातेदार से तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उस समय शाहपुरा स्टेट में खातेदार को भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं था इसलिए दो तरह की लिखावट होती थी एक तो रहननामा लिखा जाता था एंव दूसरी लिखावट बिकाव की लिखी जाती थी। तब ही बिकाव संभव था। इसीलिए अपीलार्थीगण के पूर्वज भोलू जी के पक्ष में तत्कालीन खातेदार अहमद पिता महमद जी ने दिनांक 2.7.1946को उक्त वादग्रस्त भूमि का रहननामा निष्पादित किया एवं दिनांक 26.9.1947 को उसकी रजिस्ट्री करवाई तथा दिनांक 5.7.1946 को खातेदार अहमद ने श्री भोलू के पक्ष में बिकाव का इकरार लिखकर गवाह के सामने अपने हस्ताक्षर भी किये तभी से अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाष्त, उपयोग–उपभोग पिछले 60 से भी अधिक वर्ष से चला आ रहा है । राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण के पिता के नाम पर वादग्रस्त भूमि दर्ज नहीं होने से अहमद पिता महमद खॉ की मृत्यु के उपरान्त वादीगण के पिता के पक्ष में पुनः रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 3.3.1987 को पुनः विक्रय पत्र रजिस्टर्ड निष्पादित भी कराया । लेकिन राजस्व रेकार्ड में गलती से पटवारी द्वारा संवत 2014 से 2017 में अहमद के पिता का नाम महमद खॉ को ओवर राईटिंग कर हुंए मेहताब खॉ गलत दर्ज करने से अपीलार्थीगण/वादीगण

ने खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब दावा भी प्रस्तुत किया परन्तु इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को अपीलार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक प्रदान किये जाने में सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में भी इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था आज भी वे अपीलार्थीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि दर्ज कराये जाने में सहमत है।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रदर्ष 9 मिलान क्षेत्रफल ष्से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 3620 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा था जिसके भू प्रबन्ध के उपरान्त हाल आराजी नम्बर 6635 रकबा 0.35 हेक्टैयर कायम किये गये । प्रदर्ष 2 ए से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि साबिक आराजी नम्बर 3620 भू प्रबन्ध से पूर्व अहमद पिता महमद के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिसकी ताईद जमाबंदी संवत 2010 से 2013 प्रदर्ष 5 से होती है। जिसे अपीलार्थीगण के पिता ने तत्कालीन खातेदार अहमद पिता महमद से दिनांक 5.7.1946 रहन नामा के जरिये कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसकी रजिस्ट्री प्रदर्ष 2 दिनांक 26.9.47 को संपादित की गई। तत्कालीन परिस्थितियों में बिकाव के साथ रहननामा भी निष्पादित करवाया जाता था वह अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष में तत्कालीन खातेदार द्वारा निष्पादित करवाया गया था। राजस्व रेकार्ड में संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी में ओवर राईटिंग द्वारा साबिक आराजी नम्बर 3620 में अहमद पिता महताब खॉ का नाम ओवर राईटिंग कर गलती से दर्ज कर दिये जाने से अपीलार्थीगण ने पुनः वादग्रस्त आराजी

को दिनांक 3.3.87 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता व अहमद खॉ के पुत्र नवाब खॉ से (प्रदर्ष 4) रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया एवं खातेदारी से अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया था। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भोलू कोली तत्कालीन क्रेता का चला आ रहा है वर्तमान में कब्जा भोलू के वारिसान अपीलार्थीगण का चला आ रहा है। इस तथ्य की पुष्टि में सभी प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं आज भी वे उसी पर सहमत है। जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया कि विक्रेता के पिता के नाम में परिवर्तन है तथा वर्तमान में अहमद पिता महमद दर्ज नहीं है एवं दो बाद वादग्रस्त भूमि की विक्रय हेतु रजिस्ट्री करवाई गई है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज संवत 2010 व 91/ संवत 2014 में भी से सेटलमेण्ट डिपार्टमेण्ट द्वारा जारी पानडी खाता संख्या 945 रकबा नम्बर 3620 में खातेदार का नाम अहमद पिता महमद अंकित है तथा कैफियत में भोलू वल्द दौला कोली साकिन देह दर्ज रेकार्ड है। राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 2943 संवत 2010 एवं रसीद संख्या 714 संवत 2014 में भी वादग्रस्त आराजी के खातेदार का नाम अहमद खॉ वल्द महमद खॉ अंकित किया हुआ है। जो विक्रय पत्र एवं रहन नामा निष्पादित किया गया है उसमें भी अहमद पिता महमद खॉ द्वारा भोलू पिता दौला कोली के नाम वादग्रस्त भूमि को रहन रखना व विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। जहॉ तक वर्तमान रेकार्ड में अहमद पिता महताब खॉ का नाम दर्ज होने का प्रष्न है उक्त इन्द्राज जमाबंदी संवत 2014 से 2017 में ओवर राईटिंग से महमद को मेहताब सहवन से

किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी भोलू वल्द दोला कोली का रहा है एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण का रहा है इस तथ्य की पुष्टि स्वयं प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण भी करते हैं तथा वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण को नहीं है। वादग्रस्त भूमि का दोबारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय किये जाने का प्रष्न है चूंकि राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं किये जाने एवं अहमद के पिता का नाम सहवन से गलत दर्ज कर दिये जाने से पुनः रजिस्ट्री करवाया जाना अपीलार्थीगण के पूर्वज भोलू वल्द दोला कोली की मजबूरी ही मानी जावेगी क्योंकि अहमद खॉ की मृत्यु हो जाने से एवं जमाबंदी संवत 2068 तक भी अहमद खॉ के नाम इन्द्राज होने से उसके पुत्र नवाब खॉ के नाम दर्ज नहीं किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड में भोलू वल्द दोला का नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में इसके अलावा अन्य कोई विकल्प भोलू वल्द दोला के पास नही था। चूंकि मौके पर कब्जा भोलू वल्द दोला के उपरान्त वादीगण का ही चला आ रहा है एवं इस संबंध में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण को भी कोई आपत्ति नहीं है उनकी भी सहमति है एवं मूल वाद में भी इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काष्तकार घोषित किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थीगण को मौजा शाहपुरा स्थित हाल आराजी नम्बर 6635 रकबा 0.35 हेक्टैयर का खातेदार काष्तकार अपीलार्थीगण/वादीगण को

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 39 / 2014

उनवान

1. मु0 मोहनी पत्नि स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
2. सत्यनारायण आत्मज स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
3. मु0 सीता पुत्री स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
4. मु0 गीता पुत्री स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
5. मु0 मीरा पुत्री स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
6. कन्हैया लाल पुत्र स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
7. चान्दमल पुत्र स्व0उदयलाल कोली निवासी शाहपुरा , जिला भीलवाडा
8. ओम प्रकाश आत्मज भोलू कोली, निरवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
9. मु0 मोहनी पुत्री भोलू काली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. शरीफ मोहम्मद आत्मज नवाब खॉ पठान निवासी कनेछन कलॉ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. हनीफ मोहम्मद आत्मज नवाब खॉ पठान निवासी कनेछन कलॉ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. मु0 हदीसन पुत्री नवाब खॉ पठान निवासी कनेछन कलॉ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

4. शब्बीर मोहम्मद आत्मज नवाब खॉ पठान निवासी कनेछन कलॉ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. मु0 फाती पुत्री अहमद खॉ पठान पत्नि अकबर खॉ हाजी निवासी आसीन्द जिला भीलवाडा
6. मु0 जन्नत पुत्री अहमद खॉ पठान पत्नि गुलजार पठान निवासी दरगाह मोहल्ला आसीन्द जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण
संख्या 360/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2013

अपील में डिक्री

(आदेष 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/39/2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेष की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 25.10.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर सी चेचाणी वकील एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री बी एल गुर्जर की उपस्थिति मे दिनांक 25.10.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेष दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थीगण को मौजा शाहपुरा स्थित हाल आराजी नम्बर 6635 रकबा 0.35 हेक्टैयर का खातेदार काष्तकार अपीलार्थीगण/वादीगण को खातेदार काष्तकार घोषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 25.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्री जारी की जाती है।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील	3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस